

कार्यालय सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

क्रमांक:-फ-5(1)आरपीए/सेसंआविस/पानी/2024/117

दिनांक:- 22-02-2024


खुली निविदा सूचना

सेवा संकुल आवासीय परिसर राजस्थान पुलिस अकादमी में स्थित समस्त पानी की मोटरों एवं पाईप लाइनों की मरम्मत करवाने के लिए वार्षिक अनुबन्ध करने हेतु मोहर बन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं निविदा सूचना www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर देखी जा सकती है-

क्र. सं.	कार्य	अनुमानित राशि (लाख)	अमानत राशि रु.	निविदा फार्म मूल्य	निविदा खोलने की तिथि
1.	संस्था स्थित सेवा संकुल आवासीय विकास समिति में समस्त पानी की मोटरों एवं पाईप लाइनों की मरम्मत करवाने हेतु । (Annexure - Aके अनुसार)	4.00 लाख	8000 /-रु	200.00 रु	04.03.2024

निविदा शर्तें:-


- निविदा विहित निविदा प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी, निविदा प्रपत्र कार्यालय सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, आरपीए, जयपुर से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है।
- निविदायें शील बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से कार्य का नाम लिखा हो दिनांक 04.03.2024 दोपहर 1.00 बजे तक या इससे पूर्व कार्यालय समय में कार्यालय सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, आरपीए, जयपुर में जमा करायी जा सकती हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 04.03.2024 को 03.30 पी.एम. पर क्रेता समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
- बयाना राशि के बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदा के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, बिक्री कर प्रमाण पत्र, बिक्री कर चुकती प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
- निविदा के साथ नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- जो निविदाएँ निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी या विहित उपर्युक्त दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होगी उन पर विचार नहीं किया जावेगा।
- निविदा शर्तें जी.एफ.एण्ड ए.आर. रूल्स एण्ड आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार मान्य होगी।
- क्रय समिति को किसी भी निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।


अध्यक्ष, 22/2/24

सेवा संकुल आवासीय विकास समिति,
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को तीन दिवस तक आवश्यक रूप से एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करावें।
- समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ जिलों के ठेकेदारों को सूचित कराने का श्रम करावें। ई-मेल पर प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है।
- सहायक निदेशक (प्रशासन) एवं नोडल अधिकारी आर.पी.ए. जयपुर।
- लेखाधिकारी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
- प्रोग्रामर, आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवं शर्तों के www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करावें।
- कैशियर, आर.पी.ए. जयपुर।
- नोटिस बोर्ड, आर.पी.ए. जयपुर।


अध्यक्ष, 22/2/24

सेवा संकुल आवासीय विकास समिति,
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

कार्यालय सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

क्रमांक:-फ-5(1)आरपीए/सेसंआविस/पानी/2024/

दिनांक:-

निविदा प्रारूप
वित्तीय बिड (देखिए नियम 68)

निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि
04.03.2024 समय 01.00 बजे तक।
निविदा खोलने की अन्तिम तिथि
04.03.2024 सांय: 03.30 बजे।

1. सेवा संकुल आवासीय परिसर राजस्थान पुलिस अकादमी में स्थित समस्त पानी की मोटरों एवं पाईप लाइनों की मरम्मत करवाने हेतु निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का स्थाई पता, ई-मेल एवं मोबाईल नं०

निविदादाता का :- पैन नं.

जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नं.

3. किसको सम्बोधित की गयी-अध्यक्ष, सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, आर.पी.ए., जयपुर।
4. सन्दर्भ :-
5. निविदा शुल्क की राशि रु 200/- बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सं दिनांक के द्वारा (सेवा संकुल परिसर सफाई सुरक्षा फण्ड, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के नाम) जमा करा दी गई है।
6. अध्यक्ष, सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा दी गई निविदा सूचना संख्या.....दिनांक.....में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों के हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों में बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
7. कार्य का विवरण एवं स्पेशिफिकेशन परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।
8. निविदाएं तकनीकी बिड व वित्तीय बिड अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
9. कार्य की मात्रा वास्तविक मांग अनुसार घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।
10. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संदिनांक.....द्वारा राशि रूपये 8000/-बयाना राशि के पेटे (सेवा संकुल परिसर सफाई सुरक्षा फण्ड, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के नाम) जमा करवाई गई।
11. इसके साथ जी.एस.टी./बिक्रीकर पंजीयन एवं बिक्रीकर/आयकर चुकती प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
12. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र एस.आर. 11 में संलग्न है।
13. निविदा शर्तें मेरे द्वारा देख व पढ़ ली गयी हैं तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए गये हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Annexure – A

क्र०सं०	विवरण	तादात	दर (मय जी.एस.टी.)
1.	समसर्बल मोटर बाईडिंग (7.5HP,10HP,12.5HP,15HP)	प्रति नग	
2.	समसर्बल मोटर मरम्मत मय लेवर चार्ज (7.5,10,12.5,15 HP)	प्रति नग	
		बुश	प्रति नग
		बैरिंग	प्रति नग
		शाफ्ट	प्रति नग
		थ्रस्ट प्लेट	प्रति नग
		ऐम्पिलर	प्रति नग
3	समसर्बल पम्प सैट नया	7.5HP	प्रति नग
		10HP	प्रति नग
		12.5HP	प्रति नग
4	समसर्बल पम्प मरम्मत मय लेवर चार्ज (7.5,10,12.5,15HP)	प्रति नग	
		बुश	प्रति नग
		बैरिंग	प्रति नग
		शाफ्ट	प्रति नग
		थ्रस्ट प्लेट	प्रति नग
		ऐम्पिलर	प्रति नग
5	नई मोनो ब्लॉक मोटर	7.5HP	प्रति नग
		10HP	प्रति नग
		12.5HP	प्रति नग
		15 HP	प्रति नग
6	मोनो ब्लॉक मोटर बाईडिंग (7.5HP,10HP,12.5 HP,15HP)	प्रति नग	
7	मोनो ब्लॉक मोटर मरम्मत मय लेवर चार्ज (7.5,10,12.5 ,15HP)	प्रति नग	
		बुश	प्रति नग
		बैरिंग	प्रति नग
		शाफ्ट	प्रति नग
		थ्रस्ट प्लेट	प्रति नग
		ऐम्पिलर	प्रति नग
8	नई समसर्बल मच्छी मोटर	7.5HP	प्रति नग
		10HP	प्रति नग
		12.5HP	प्रति नग
		15 HP	प्रति नग

9	समर्सिबल मच्छी मोटर बाईडिंग (7.5HP,10HP,12.5 HP,15HP)	प्रति नग	
10	समर्सिबल मच्छी मोटर मरम्मत मय लेवर चार्ज (7.5,10,12.5 ,15HP)	प्रति नग	
	बुश	प्रति नग	
	बैरिंग	प्रति नग	
	शाफ्ट	प्रति नग	
	थ्रस्ट प्लेट	प्रति नग	
	ऐम्पिलर	प्रति नग	
11	स्टाटर नया	प्रति नग	
12	स्टाटर मरम्मत मय लेवर चार्ज	प्रति नग	
	रिले	प्रति नग	
	फेज प्रिवेन्टर	प्रति नग	
	टाईमर	प्रति नग	
	कॉन्टेक्टर	प्रति नग	
	वोल्ट मीटर	प्रति नग	
	ऐम्पियर मीटर	प्रति नग	
	आईसोलेटर 4 पोल	प्रति नग	
	MCB 4 Pol	प्रति नग	
13	कटाउट (1000 ऐम्पियर)	प्रति नग	
14	नया वाल्व सैट 1"	प्रति नग	
15	नया वाल्व सैट 2"	प्रति नग	
16	नया वाल्व सैट 3"	प्रति नग	
17	नया वाल्व सैट 4"	प्रति नग	
18	वाल्व मरम्मत मय लेवर चार्ज (6",8",10",12")	प्रति नग	
19	लेथ मशीन कार्य	प्रति नग	
20	लोरिंग अन लोरिंग	प्रति नग	
21	मोनो ब्लॉक व मच्छी मोटर फिटिंग कार्य	प्रति नग	
22	बोरिंग व मोटर हेतु नट, बोल्ट व रबर सीट	प्रति नग	
23	समर्सिबल केबल 4 एम.एम	प्रति मीटर	
24	समर्सिबल केबल 6 एम.एम	प्रति मीटर	
25	समर्सिबल केबल 10 एम.एम	प्रति मीटर	
26	आर्मड केबल 6 एम.एम.	प्रति मीटर	
27	आर्मड केबल 10 एम.एम.	प्रति मीटर	
28	आर्मड केबल 15 एम.एम.	प्रति मीटर	
29	बोरिंग हेतु जी आई पाईप मय फ्लंच (2"x20')	प्रति मीटर	
30	पी वी सी (प्लास्टिक) पाईप 2"	प्रति मीटर	
31	लीकेज जी आई पाईप 2",3",4" मय सामान	प्रति लीकेज	

32	लीकेज डी आई पाईप 3",4",6",8" मय सामान	प्रति लीकेज	
33	लीकेज ऐसवेस्टस पाईप 3",4",6",8" मय सामान	प्रति लीकेज	
34	1/2" नई जी आई पाईप डालना मय सामान	प्रति नग	
35	1" नई जी आई पाईप डालना मय सामान	प्रति नग	
36	2" नई जी आई पाईप डालना मय सामान	प्रति नग	
37	इलेक्ट्रीशियन लेवर चार्ज	प्रति विजिट	

नोट:—आईटम सं. 1 से 37 के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। कार्य आवश्यकतानुसार कराया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

खुली निविदा के लिए एवं संविदा की शर्तें

टिप्पणी : निविदाओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए ।

1. बोलीदाताओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से तकनीकी एवं वित्तीय बिड अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जानी होगी। तकनीकी रूप से सफल बिडर की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी रूप से अस्वीकृत बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. (अ) मूल विनिर्माता द्वारा निविदाएँ:-
 - (i) बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सूचना के अनुसार
 - (ii) बोलिया संबंधित आईटम के मूल विनिर्माता एवम् उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसे विशेष रूप से विनिर्माता द्वारा अधिकृत किया गया है, द्वारा दी जाएंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेट्स के संबंध में बोली के साथ संलग्न एस.आर. प्रारूप 11 में घोषणा पत्र भरकर उपलब्ध करवाया जावेगा एवं लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ दिये जायेंगे।
 - (ii) बोलीदाता द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के संबंध में उद्योग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ प्रस्तुत करवानी होगी।
- (ब) राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम आरक्षण:-
 - (i) किसी भी आइटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्में पात्र मानी जावेगी। जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त होना चाहिए।
 - (ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाकर वांछित शपथ पत्र बोली के साथ प्रस्तुत किये जावेंगे। जिसके अभाव में बोली निरस्त की जा सकती है।
 - (iii) राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो के अतिरिक्त अन्य फर्मों को बोलियों के साथ बोली आमंत्रण सूचना के अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, उनके द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि बोली के साथ मान्य स्वरूपमें एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी

अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त शपथ पत्र के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(iv) स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए आरक्षित उत्पादों से भिन्न उत्पादों के उपापन हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को मूल्य एवं क्रय अधिमान प्रदान किया जायेगा। यह लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा जो अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु सं. 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप 'ए' में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन फर्मों द्वारा उद्यमिता ज्ञापन भाग II/UAM एवं बिन्दु सं. 11 के निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(v) राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर लागत पर उपलब्ध कराया जायेगा जबकि प्रदायक फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित फार्म 'बी' के अनुसार शपथ पत्र बोली के साथ प्रस्तुत करने होंगे। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(vi) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की उत्पादन एवं उत्पाद की गुणवत्ता की जांच हेतु सुनिश्चित की जावेगी एवं उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जावेगा।

(vii) राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 में अंकित नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में निविदाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेताधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्त स्वीकृति के लिए निविदा की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकर की गई किसी भागीदारी की रसदी उन सब को बाध्य करेगी तथा यह संविदा के किसी योजना के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्त (डिसचार्ज) होगा।

4. जीएसटी पंजीयन/जीएसटी रिटर्न एवं पेन कार्ड की प्रति –

- (i) कोई भी डीलर जो अपने व्यवसाय स्थल के राज्य में प्रचलित जीएसटी अधिनियम/बिक्रकर के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, वह बोली नहीं दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाएगा। प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
 - (ii) बोलीदाता सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी के प्राप्त बिक्री कर शोधन प्रमाण-पत्र एवं आय कर चुकती प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। इसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जावेगा।
5. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकण से भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा। तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
 6. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी इसमें कोई त्रुटि या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
 7. बोली में दरें अंकित करते समय समस्त करों को शामिल करें तथा समस्त प्रकार के करों की दरें पृथक से स्पष्ट करें।
 8. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी प्रभारों को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रयासों सप्लाई के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए। सरकार द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभार का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जायेगी।
 9. **विधि मान्यता:-** निविदाएँ उनके खोले जाने के दिनांक से RTPP नियम में उल्लेखित अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
 10. निविदाता अपनी संविदा को या उनके किसी सारवान भाग की किसी अन्य एजेंसी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाड़े पर नहीं देगा।
 11. **निरीक्षण एवं परीक्षण :-** प्रदाय जब भी प्राप्त किया जायेगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों/केटलॉग/डेमो के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हों वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण ग्रहों में कराया जायेगा। अनुमोदित नमूनों/केटलॉग/डेमो के अनुरूप नहीं होने पर सम्पूर्ण प्रदाय अथवा उसके अंश को रद्द कर दिया जायेगा। रद्द किये गये प्रदाय को बोलीदाता द्वारा उन्हें परिषद द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलना होगा।
 12. रद्द किये गये सामग्री को प्रदायकर्ता 15 दिन की अवधि में हटा लेगा, इसके बाद विभाग किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
 13. विभाग के प्राधिकृत अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर प्रदायकर्ता/ठेकेदार के परिसर में जायेगा तथा वह विनिर्माण की

प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसे भी हो किसी भी समय सामग्री का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा।

14. **परीक्षण प्रभार** :-परीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किये जायेंगे। यदि बोलीदाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता है या यदि परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है तो परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
15. **नमूने**:-अनुसूची में अंकित वस्तुओं की निविदाओं के साथ उचित रूप में से पैक की गयी निविदत्त वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे नमूने यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाए तो कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद की जाएगी। यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते हैं, तो इन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवान चाहिए तथा आर/आर या जी.आर.एफ. पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए/ कंटेरिंग/खाद्य पदार्थों के नमूने प्लास्टिक वॉचर/पोलीथीन के थैलों में निविदाता के खर्च पर दिये जाने चाहिए।
16. प्रत्येक नमूने पर, उस पर या उस पर मजबूती से चिपकायी गयी किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदाता का नाम मद की कम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाएंगे। नमूना के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
17. को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।
18. **रद्द करना** :-
 - (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान या जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी, उन्हें रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हें बदला जावेगा।
 - (ii) आपूर्ति किया गया माल या आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरुद्ध विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।
 - (iii) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य नहीं समझा जावे तो विभागीय उपापन समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेंगे। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।
19. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अयोग्यता समझी जावेगी एवं ऐसे निविदादाता की निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।
20. **बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी)**: निविदा के साथ निर्धारित रूपये की बयाना राशि प्रस्तुत की जायेगी इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि सेवा संकुल परिसर सफाई सुरक्षा फण्ड, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के पक्ष में बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक से देय होगी।

21. **बयाना राशि का समपहरण** –बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में जब्त कर लिया जावेगा।

- (1) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें परिवर्तन करता है।
- (2) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो निष्पादित नहीं करता है।
- (3) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है।
- (4) जब वह निर्धारित समय के अन्तर्गत आदेशों के अनुसार सामग्री आपूर्ति करने में असफल रहता है अथवा संतोषजनक सेवाएं देने में असमर्थ रहता है।

22. **करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :-**

- (i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में रूपये 500/- मूल्य के नॉन जूसूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर (जिसका व्यय स्वयं बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा) एक करार-पत्र निष्पादित करना होगा तथा प्रावधित मूल्य जिसके लिए बोली स्वीकार की गई है उसके मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी।
- (ii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादित प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।
- (iv) यदि सफल बोलीदाता उस आइटम के लिए राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जो उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो तो उस आइटम के लागत मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।
- (v) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न रूग्ण उद्योगों जिनके मामले औद्योगिक और वित्तिय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, के मामले में आइटम्स के लागत मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर होगी।
- (2) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (3) प्रतिभूति राशि निम्न रूप में होगी—
 - (i) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक
 - (ii) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगी।
 - (iii) अल्प बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगी। राष्ट्रीय बचत

प्रमाण पत्र डिफेंस/ सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्ट/ विलेख यदि इन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इस प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य सरेण्डर मूल्य पर स्वीकार किया जायेगा।

(iv) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मर्दों को अन्तिम सप्लाई से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी किया जाता है तो दो माह के भीतर उसके लिए संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के नाम या गारण्टी की अवधि यदि हो, के समाप्त होने के बाद जो भी बाद में हो तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकाया नहीं है। प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जायेगा।

23. प्रतिभूति राशि का समपहरण :- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहरत किया जायेगा :-

(क) जब संविदा की किसी शर्त/अथवा शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(घ) कार्य में असफल रहने पर परिषद द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर उसमें जो भी व्यय होगा बोलीदाता से उसकी प्रतिभूति राशि में से अथवा उसको देय बिल की राशि के भुगतान में से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या प्रवृत्त अन्य किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

24. सुपुर्दगी अवधि :-

(i) निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी को विभाग द्वारा आवश्यकता एवं सुविधानुसार माल की सप्लाई का आदेश दिया जा सकेगा तथा निविदादाता द्वारा आदेशित माल एवं मात्रा की सप्लाई आदेश में दी गई अवधि में करनी होगी।

(ii) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदा वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

25. परिसमापित नुकसानी :-परिनिर्धारित क्षतियों के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उप स्टोर के मूल्यों के लिए की जावेगी जिनको निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है:-

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत।

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु चिन्हित अवधि की आधी अवधि के लिए 5 प्रतिशत।

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु निहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत।

(घ) निहति अवधि के तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत ।

(ङ) यदि प्रदाय कर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई पूरा करने के

लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो यह लिखित में आवेदन करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।

(ट) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी ।

26. **वसूली** :-परिनिर्धारित क्षतियाँ कम सप्लाई, टूट फूट या रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। कम सप्लाई टूट फूट, किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायक सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (एल.डी.) के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निपेक्ष से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
27. प्रदाय की जाने वाली सामग्री की दरें आदि का विवरण निविदा प्रारूप पर ही अंकित किया जावेगा। पृथक से अंकित कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
28. रिस्क एण्ड कोस्ट परचेज :- निविदादाता द्वारा आदेशित माल एवं मात्रा की सप्लाई निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने पर विभाग द्वारा माल की खरीद स्थानीय बाजार से निविदादाता की रिस्क एण्ड कोस्ट पर की जा सकेगी।
29. निविदा के किसी भी भाग को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का विभाग को पूर्ण अधिकारी होगा।
30. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा किया जाएगा जो अन्तिम होगा एवं समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर होगा।
31. वित्तीय बिड में दी गई आईटम वाईज दर के आधार पर न्यूनतम दरदाता फर्म की आईटमवार निविदा या एकजाई रूप में स्वीकार योग्य होगी। क्रय समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।
32. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे।
33. सफल बिडदाता आईटम सप्लाई अथवा उसके किसी हिस्से को किसी अन्य फर्म को Sublet नहीं करेगा।
34. कार्य संतोषजनक नहीं होने पर 30 दिवस के नोटिस पर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
35. बिड में अंकित दरें समस्त प्रकार के प्रचलित करों सहित होनी चाहिये। पृथक से कोई प्रभार देय नहीं है।

36. न्यूनतम/सर्वाधिक लाभप्रद बोलीदाता का चयन आईटम वाईज या इकजाई रेट के आधार पर किया जावेगा। इस सम्बन्ध क्रय समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
37. आईटम्स वाईज दर अंकों एवं शब्दों में ध्यानपूर्वक भरी जावें तथा कुल योग की गणना भी ध्यानपूर्वक की जावें। अंको एवं शब्दों अथवा कुल योग की गणना में अन्तर होने की स्थिति में आईटम की रेट अंको एवं शब्दों में लिखी गई में से जो न्यूनतम होगी उसको अन्तिम माना जावेगा।
38. गारन्टी :-बोलीदाता यह गारन्टी देगा कि उपकरण-सामग्री सुपुर्दगी एवं

स्थापित के दिनांक से..... वर्ष अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी, तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने सुपुर्द सामग्री को अनुमोदित कर दिया है, यदि निर्दिष्ट गारन्टी अवधि में आपूर्ति सामग्री गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पायी गयी तो क्रेता अधिकारी ऐसी सम्पूर्ण/आंशिक सामग्री को रद्द करने का हकदार होगा। ऐसी रद्द की गयी सामग्री विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा, माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबन्ध लागू होंगे। बोलीदाता को, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाए, तो वह उस माल को या उसके किसी भाग को, जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है। बदलना होगा अन्यथा बोलीदाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी ?

39. भुगतान :-

- (क) बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में लोक उपापन नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे। किसी भी सूरत में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (ख) विवादास्पद मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।
- (ग) उन मामलों में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाये तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित निर्देशों के अनुरूप हों।
40. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :-

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो "पार्टनरशिप डीड" की अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।

41. किसी भी निविदा/बिड को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है।
42. राज्य से बाहर की फर्म की दरें न्यूनतम आने पर उस फर्म का राजस्थान में ब्रांच ऑफिस होना अनिवार्य है।
43. ब्लेक लिस्टेड फर्म की निविदाएं स्वीकार नहीं है।
44. निविदा प्रणाली RTPP Act – 2012, Rules – 2013 के अनुसार होगी।
45. तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं को उत्पाद के प्रदर्शन (DEMO) के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। जिसका उन्हें कोई शुल्क प्रदान नहीं किया जावेगा।
46. तंग करने वाली अपील या परिवाद:- जो कोई भी किसी उपापन में विलम्ब कारित करने या उसे विफल करने या किसी उपापन संस्था या किसी अन्य बोली लगाने वाले को हानि कारित करने के आशय से इस अधिनियम के अधीन कोई तंग करने वाली, तुच्छ या द्वेषपूर्ण अपील या परिवाद दाखिल करता है, वह ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो राशि बीस लाख रूपये या उपापन के मूल्य के पांच प्रतिशत जो भी कम हो, तक का हो सकेगा।
47. प्रतिभूति निक्षेप/कार्य सम्पादन प्रतिभूति:- सफलतम बोली लगाने वाले को कुल रकम का 2.5 प्रतिशत (जो कि 2 प्रतिशत अमानत राशि के अलावा देय होगी) अलग से धरोहर राशि के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा। अमानत राशि की रकम बाद में धरोहर राशि में समायोजित की जा सकती है।

मैंने/हमने उपर्युक्त समस्त शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली हैं। मैं/हम इनका निष्पादन करने के लिए बाध्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय मुहर

(निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण-स्वरूप)

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन मालो/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम/बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेंट हूँ/है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव वाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपह्यत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मुहर